

05.02.2015

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमती निशा गुप्ता**

श्री डी के दीक्षित, अधिवक्ता अपीलार्थी  
श्री राजेश कुमार सैनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 15330/2014 प्रस्तुत किया गया है एवं उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि विपक्षी की तामील नहीं हो रही है ओर उसे बेदखल किया जा रहा है।

पूर्व में स्टे हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 810/2014 लम्बित है, ऐसी स्थिति में उसी प्रार्थना हेतु यह द्वितीय प्रार्थना पत्र संख्या 15330/2014 पोषणीय नहीं है ओर अस्वीकार किया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1/4, 1/5, 1/6 एवं 1/10 को नोटिस साधारण तरीके व रजिस्टर्ड डाक दोनों तरीके से जारी किये जावे।

**(न्याया निशा गुप्ता)**

**बीएलजैन79**

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.  
B.L. Jain, PS